## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMPG Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No2.3.2417	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant Compla	(B)(A)(A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)
Name , parentage, c	aste and address of accused
न्ति गोद <b>ः</b> इ	10 मनविरो जात्व जाणित हा -23 मिन ज्याहर केल्याश
The of ence, complain ant of	and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है	कि दिनांक ि ि ि ि े मुकाम पर बिना वैद्य अनुधाप्ता के अपने
आधिपत्य में लीटर/पाव/बोतल	
अपराध कारित किया। क्या <b>आपको उक्त</b> अपरा	ध स्त्रीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The olea of the accuse	and his examination (if any) white
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दृष्डित करने का निवंदन है।	
Resident	Cardyn

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय// (आज दिनांक \_\_\_6//0// में को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की खेळागूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-41 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराया जाता है। समकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उटने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये डि॰ शब्दों में किंच्य कि स्मिथ्य रूपये कें अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर रिवित्त का साधारण कारावास की सजा मुगतायी जावे।

मेर्रानिस्श्री पृथ्वित